

05/08/23

पडावकी पैसा हुई। अधिवक्ता
वादी उप। समन तलवांग
पैसा नहीं, वादी की प्रतिवादीपत्र
की तलबी पूर्ण करवाने हेतु
पथील अवर दिए गए, वादी
द्वारा न्यायालय के आदेश
की पालना नहीं की गई है।
अतः वादी का वाद आदेश 09
नियम 05 CPC 151 के तहत
अदक पालना में खारीफ
किया जाता है।
पडावकी केंद्रल मुफ्त
होकर दाखिल दकर है।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाइपेर

